RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016–18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक ५] **गुरुवार, मार्च १०, २०१६/फाल्गुन २०, शके १९३७** **[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००**

असाधारण क्रमांक ५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १० मार्च २०१६ ई.को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. I OF 2016.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १ सन् २०१६।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९६६ का महा. ४१ ।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका धा कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, ५ फरवरी २०१६ को प्रख्यापित हुआ था।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र.३ ।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; इसलिये, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हे :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) यह ५ फरवरी २०१६ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६६ का महा. ४१ में एक नई धारा २५५ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे, "उक्त संहिता" कहा गया है) की धारा २५५ की उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :— सन् १९६६ का महा. ४१।

"(४) किसी राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी के समक्ष दायर कोई अपील जिस दिनांक पर ऐसी अपील दायर की गई है उस दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटायी जायेगी :

सन् २०१६ का महा. अध्यादेश .....।

परंतु, ऐसी कोई अपील, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१६ के प्रवृत्त होने के दिनांक से पहले दायर की गई है, तो ऐसे प्रारंभण के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटायी जाएगी :

परंतु आगे यह कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों के लिए, किसी अपील का निपटान करने के लिए, अवधि राज्य सरकार या इस निमित्त पदाभिहित कलक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी जो इस निमित्त अपीलीय प्राधिकारी का वरिष्ठ है, के द्वारा अधिकतर छह महीनों तक विस्तारित की जा सकेगी ।

(५) यदि अपीलीय प्राधिकारी उप-धारा (४) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी अपील का निपटान करने में पर्याप्त कारण के बिना, असफल रहता है तो वह उस पर लागू होनेवाले संबंधित अनुशासनिक नियमों के अनुसरण में अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होगा।"।

सन् १९६६ का महा. ४१ में धारा २५७ में संशोधन।

३. उक्त संहिता की धारा २५७ की,—

(क) उप-धारा (१) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु, इस उप-धारा या उप-धारा (२) के अधीन ऐसी कोई कार्यवाहियाँ अधीनस्थ अधिकारी के निर्णय या आदेश के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, किसी राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा शुरु नहीं की जाएगी।";

(ख) उप-धारा (३) के,—

(एक) प्रथम परन्तुक के पहले निम्न परन्तुक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

सन् २०१६ का महा. ..... ।

परंतु, किसी राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी के समक्ष लायी गई कोई कार्यवाही जिस दिनांक को ऐसी कार्यवाही दायर की गई है उस दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटायी जाएगी :

परंतु आगे यह कि, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१६ के प्रारम्भण के दिनांक को किसी राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी के समक्ष, इस धारा के अधीन प्रलंबित कोई कार्यवाही ऐसे प्रारंभण के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटायी जाएगी : सन् २०१६ का महा. .....।

परंतु यह भी कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों के लिए, किसी ऐसी कार्यवाही का निपटान करने की अवधि राज्य सरकार या इस निमित्त पदाभिहित कलक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी जो इस निमित्त पुनरीक्षण प्राधिकरण का वरिष्ठ है, के द्वारा अधिकतर छह महीनों तक विस्तारित की जा सकेगी :

परंतु यह भी कि, यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी, पर्याप्त कारण के बिना, उप-धारा (३) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई ऐसी कार्यवाहियों का निपटान करने में असफल रहता है, तब वह उस पर लागू होनेवाले संबंधित अनुशासनिक नियमों के अनुसरण में अनुशासनिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा ।";

(दो) प्रथम परन्तुक में, "परन्तु" शब्दों के स्थान में, "परन्तु यह भी कि" शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) द्वितीय परन्तुक में, "परन्तु आगे यह कि" शब्दों के स्थान में, "परन्तु यह भी कि " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

सन २०१६ का महा. अध्या. क्र. ३।

"(४) उसमें निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा उप-धारा (१) या (२) के अधीन जारी किसी आदेश का पुनरीक्षण अनुज्ञेय नही होगा परंतु उप-धारा (१) या (२) के अधीन ऐसे किसी आदेश का उपांतरण करना, बातिल करना या उलटना केवल राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा ।"।

(४) (१) महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन २०१६ का महा. अध्या. क्र. ३ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश, द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यो तथा कारणोंका वक्तव्य।

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि, भूमी के संबंध में न्यायिक-कल्प कार्यवाहियों के स्वरुप में बडी संख्या के विवाद शासकीय राजस्व तथा सर्वेक्षण के विभिन्न स्तरों पर प्रलंबित हैं। ऐसे लंबित मामलें, विकास के लिए भूमि की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। यह भी देखा गया था कि, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१) की धारा २५७ के अधीन ऐसे विवादों के अंतिम संकल्प, ऐसे विवादों के संबंध में एक से अधिक पुनरीक्षण संभव हो रहै हैं, परिणामस्वरुप, लंबीकृत रहते है।

इसलिए, ऐसे अपील और पुनरीक्षण के निपटान के लिए पुनरीक्षणों की संख्या घटाकर साथ ही साथ विनिर्दिष्ट समय-सीमा विहित करके के उक्त संहिता के सुसंगत उपबंधों का यथोचितरीत्या संशोधित करना इष्टकर समझा गया था जिससे विवादों के पक्षकारों के साथ ही साथ विकास के लिए ऐसी भूमियाँ उपलब्ध करने में समय और पैसे की भी बचत होगी।

२. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हे उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ (सन् २०१६ का महा अध्या. क्र. ३) ५ फरवरी २०१६ को प्रख्यापित हुआ था।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित २४ फरवरी २०१६।

एकनाथराव खडसे,
राजस्व मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित १० मार्च २०१६।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.